बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या– CSTL/25/2017/ 604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 2018–19 की पुनर्वैधिकृत एवं 2018–19 की देयता के लिए संसूचित राशि से वित्तीय वर्ष 2019–20 में भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में –443.08304 लाख रुपये, राज्यांश मद में 319.93857 लाख रुपये, कुल 763.02161 लाख (सात करोड़ तीरसठ लाख दो हजार एक सौ इकसठ) रुपये की निकासी एवं व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की गई 1377.42539 लाख (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख ब्यालीस हजार पाँच सौ उन्चालीस) रूपये की वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति।**

ओदश :– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 2018–19 की पुनर्वैधिकृत एवं 2018–19 की देयता के लिए संसूचित राशि से वित्तीय वर्ष 2019–20 में भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में –443.08304 लाख रुपये, राज्यांश मद में 319.93857 लाख रुपये, कुल 763.02161 लाख (सात करोड़ तीरसठ लाख दो हजार एक सौ इकसठ) रुपये की निकासी एवं व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की गई 1377.42539 लाख (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख ब्यालीस हजार पाँच सौ उन्चालीस) रूपये की वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 1284.2682 लाख रूपये तथा राज्यांश मद में 856.1788 लाख रूपये कुल 2140.447 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्र संख्या– CSTL/25/2017-623 दिनांक 01.10.2018 द्वारा दी गई थी। स्वीकृत्यादेश के आलोक में बिहार सरकार, कृषि विभाग के पत्र संख्या–52 (आवंटन) दिनांक 28.12.2018 द्वारा केन्द्रांश मद में 967.50 लाख रूपये तथा राज्यांश मद में 645.00 लाख रूपये कुल 1612.50 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन किया गया परन्तु महालेखाकार, बिहार, पटना से पूर्व के वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन नहीं होने के कारण उपलब्ध आवंटन से वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश मद में 841.18516 लाख रूपये तथा राज्यांश मद में 536.24023 लाख रूपये कुल 1377.42539 लाख रूपये मात्र की निकासी हो पाई एवं अवशेष केन्द्रांश 126.31484 लाख रूपये तथा राज्यांश 108.75977 लाख रूपये कुल 235.07461 लाख रूपये की निकासी नहीं हो पाई। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि निकासी होने के कारण निकासी की गई राशि का व्यय नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में निकासी की गई राशि 1377.42539 लाख रूपये का भारत सरकार से पुनर्वैधीकरण के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार के पत्रांक 2–2/2018 Fert Use दिनांक 30–04–2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की देयता के लिए 322.60 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित है। कार्यक्रम के घटक, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा दर विगत वर्ष की स्वीकृत्यादेश CSTL/25/2017-623 दिनांक 01.10.2018 के अनुसार है। भारत सरकार से संसूचित केन्द्रांश मद में उद्व्यय 322.60 लाख रूपये में से 316.7682 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवशेष केन्द्रांश राशि 126.31484 लाख रूपये कुल 443.08304 लाख रूपये केन्द्रांश तथा 319.93857 लाख रुपये राज्यांश कुल 763.02161 लाख रूपये से ही योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, गया, सिवान, लखीसराय तथा जमुई द्वारा वर्ष 2018–19 में राज्यांश के राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि निर्धारित 60:40 के अनुपात में नहीं है। राज्यांश की राशि इस अनुपात से अधिक है।

4. भारत सरकार के पत्रांक 2–1/2019 Fert Use दिनांक 12.04.2019 द्वारा केन्द्रांश मद की राशि 967.50 लाख रूपये का 2019–20 में व्यय हेतु पुनर्वैधिकरण किया गया है।

5. स्वीकृत राशि से 2018–19 की देयता का भुगतान वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।

6. तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 की पुनर्वैधिकृत अवशेष राशि के अंतर्गत आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा। विगत वर्ष की देयता के लिए भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने के पश्चात् ही समानुपातिक राज्यांश की राशि सहित, अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

7. भारत सरकार के पत्रांक 16–6/2016 Fert Use दिनांक 29–08–2016 के अनुसार इस योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय के रूप में प्रति नमूना 300 रू0 का प्रावधान है। प्रति नमूना जिसका मदवार ब्यौरा निम्नवत है :–

क्रमांक	कार्य मद	व्यय सीमा (रु० प्रति नमूना)
1	नमूनाकरण लागत	40.00
2	संविदा पर कार्यरत मानव बल के मानदेय एवं प्रशिक्षण	37.00
3	नमूना विश्लेषण रसायन एवं अन्यान्य	150.00
4	कार्ड प्रींटिंग प्रति नमूना	50.00
5	कार्ड वितरण प्रति नमूना	10.00
6	प्रत्यक्षण	5.00
7	जागरुकता/मिशन मैनेजमेंट/प्रचार प्रसार	4.00
8	जी०पी०एस० यंत्र	4.00
	एक नमूना के विशलेषण पर कुल लागत	**300.00**

7.1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 16–6/2016 19 (I) Fert Use दिनांक 23.11.2016 द्वारा उक्त मदों में Intercomponent flexibility की स्वतंत्रता दी गई है। आवश्यकतानुसार प्रत्येक नमूना के लिए निर्धारित व्यय सीमा 300/– रूपये प्रति नमूना के अंतर्गत Intercomponent flexibility का उपयोग किया जा सकता है।

7.2 मृदा सुधारक हेतु रु० 2500/– हेक्टर की दर से 3460 हेक्टर में रुपये 86.50 लाख व्यय किया जाएगा।

7.3 नमूनों के विश्लेषण हेतु मिट्टी रसायनज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए कुल 22 प्रशिक्षण (20 के बैच में) के लिए 60,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से रुपये 13.20 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

7.4 किसानों के क्षमता संर्वद्वन हेतु 24,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 25 प्रशिक्षण के लिए रुपये 6.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

7.5 प्रसार कर्मियों/प्रयोगशाला कर्मी के क्षमता संर्वद्धन हेतु 36,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 21 प्रशिक्षण के लिए रुपये 7.56 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

7.6 समेकित संचार तकनीक अंतर्गत (ICT) 20.55 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

7.7 मिशन प्रबंधन में 41.97 लाख रु० का प्रावधान किया गया है जिसमें 12.237 लाख रुपये रेफरल नमूनों के जाँच के व्यय का प्रावधान मिशन मैनेजमेंट में निर्धारित मद से ही किया जा रहा है जिससे राज्य में अधिसूचित केन्द्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पटना के आलावा अन्य दो रेफरल प्रयोगशाला डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविधालय, पूसा एवं बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर को भी रेफरी नमूना की संख्या एवं माँग के अनुरुप राशि की निकासी संयुक्त निदेशक (रसायन) द्वारा विकास भवन कोषागार से निकासी कर भुगतान की जायगी।

7.8 अनुसूची–1 में वर्णित घटकों में जो भी राशि अवशेष रहती है उसका व्यय स्वायल फर्टिलिटी मैप के निर्माण के लिए किया जा सकेगा।

7.9 मिट्टी रसायनज्ञों का प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय कार्यशाला, आई0सी0टी0 के अतिरिक्त मिशन मैनेजमेंट में 29.733 लाख रूपये की कर्णांकित राशि कृषि निदेशक द्वारा बामेती से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर निकासी की जायगी और इसे बामेती के पी0 एल0 खाता संख्या – 278 में स्थानांतरित किया जायगा जिसे कृषि निदेशक के परामर्श पर व्यय किया जायेगा।

8. जिलावार घटकवार भौतिक एवं वित्तीय विवरणी तथा मदवार देयता का विवरण अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। कोटिवार राशि का ब्यौरा एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। इसमें अनुसूचित जन जाति घटक का आवंटन मात्र वैसे जिलों में समानुपातिक रुप से किया जा रहा है जिन जिलों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार दस हजार से अधिक है।

9. आवंटित राशि की निकासी संबद्ध प्रयोगशालाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायगी तथा संबंधित मद में व्यय किया जायेगा। व्यय के उपरान्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन अनुदेश पत्रांक NMSA (को०)/18/2015/383 दिनांक 17 मई 2017 द्वारा निर्गत है जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी लागू रहेगा। आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में प्रशासी विभाग द्वारा समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

11. योजना कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार प्रशासी विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

12. यह योजना वर्ष 2018–19 की योजना है जिस पर वर्ष 2018–19 में राज्य स्तरीय कार्यकारीणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। विगत वर्ष की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति से स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार ही इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

13. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या– 01,उप शीर्ष 0207 – राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050207** ,पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0207.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	1660.00	363.55282
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना , माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007890238**, पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0238.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	320.00	75.39748
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007960258**, पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0258.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	20.00	4.13274
कुल केन्द्रांश	**2000.00**	**443.08304**

राज्यांश		
"मुख्य शीर्ष 2401–फ़सल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष–0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050307,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0307.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन "	1029.20	263.62027
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग संख्या–01,उप शीर्ष– 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– **01-2401007890338,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0338.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन"	198.40	53.56462
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष–0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– **01-2401007960358,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0358.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	12.40	2.75368
कुल राज्यांश	**1240.00**	**319.93857**
सकल योग	**3240.00**	**763.02161**

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के 7 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में यह चालू योजना है। योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का संचिका संख्या – सी0एस0टी0एल0–25/2017 के पृ०सं0–74/टि0 पर दिनांक–27.06.2019 को अनुमोदन प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त्त सहमति संचिका संख्या–CSTL/25/2017 के पृ०सं0–84/टि० पर दिनांक–22.08.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–140 दिनांक 19.08.2019 है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त्त सहमति के आलोक में संशोधित स्वीकृत्यादेश पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– CSTL/25/2017 के पृ०सं0–87/टि० पर दिनांक–06.09.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 12.9.19

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017/604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/ 2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017/604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017/604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017/604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/2019

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/उप निदेशक,रसायन मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य), सहरसा प्रमण्डल, सहरसा/उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र, आरा/पूर्णियाँ/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017/604 /कृ0, पटना, दिनांक– 18/09/2019

प्रतिलिपि– उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ANNEXTURE-1

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बिहार राज्य में 2019-20 में केन्द्रांश मद- 443.08304 लाख रुपये, राज्यांश-319.93857 लाख रुपये, कुल 763.02161 लाख रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति का मदवार ब्यौरा

(राशि रुपये में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	लक्ष्य	नमूना जाँच में व्यय	नमूना जाँच में 2018-19 में उपलब्ध कराई गई राशि	नमूना जाँच में वर्ष 2018-19 में निकासी की गई राशि	नमूना जाँच में वर्ष 2018-19 में निकासी नहीं की गई राशि	नमूना जाँच में देयता की राशि	देयता की राशि के रूप में: मृदा स्वास्थ्य जाँच आधारित सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक/मृदा सुधारक का प्रयोग – रकबा हेक्टर में	लागत रुपये में	मृदा स्वास्थ्य का प्रशिक्षण (रू0 60000/प्रशिक्षण) – भौतिक	वित्तीय	किसानों का प्रशिक्षण (रू0 24000/प्रशिक्षण) – भौतिक	वित्तीय	लाईन कर्मियों का प्रशिक्षण (रू0 36000/प्रशिक्षण) – भौतिक	वित्तीय	आई0सी0टी0 – वित्तीय	मिशन मैनेजमेंट – वित्तीय	मिशन मैनेजमेंट में उपलब्ध कराई गई राशि	मिशन मैनेजमेंट में 2018-19 में निकासी नहीं की गई राशि	मिशन मैनेजमेंट में देयता की राशि	राज्य स्तरीय कार्यशाला – भौतिक	वित्तीय	कुल – वित्तीय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की गई राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी नहीं की गई राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में देयता की राशि (9+11+13+15+17+18+22+24)	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निकासी योग्य शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	पटना	सहायक निदेशक (रसायन)	18263	5478900	4429628	0	4429628	1049272	97	242500			1	24000	1	36000								5781400	0	4429628	1351772	5781400
2	नालन्दा	सहायक निदेशक (रसायन)	20600	6180000	4996530	4996530	0	1183470	109	272500			1	24000	1	36000								6512500	4996530	0	1515970	1515970
3	भोजपुर	उप निदेशक (शष्य)	24360	7308000	5908618	5908618	0	1399382	129	322500			1	24000		0								7654500	5908618	0	1745882	1745882
4	बक्सर	सहायक निदेशक (रसायन)	16807	5042100	4076437	0	4076437	965663	89	222500				0	1	36000								5300600	0	4076437	1224163	5300600
5	रोहतास	सहायक निदेशक (रसायन)	27116	8134800	6641670	6641670	0	1493130	143	357500				0	1	36000								8528300	6641670	0	1886630	1886630
6	भभुआ (कैमूर)	सहायक निदेशक (रसायन)	18834	5650200	4648788	4648788	0	1001412	100	250000			1	24000		0								5924200	4648788	0	1275412	1275412
7	गया	सहायक निदेशक (रसायन)	13137	3941100	3186180	2980251	205929	754920	69	172500			1	24000	1	36000								4173600	2980251	205929	987420	1193349
8	अरवल	सहायक निदेशक (रसायन)	5317	1595100	1289232	0	1289232	305868	28	70000				0	1	36000								1701100	0	1289232	411868	1701100
9	औरंगाबाद	सहायक निदेशक (रसायन)	31293	9387900	7590402	7590402	0	1797498	165	412500			1	24000	1	36000								9860400	7590402	0	2269998	2269998
10	नवादा	सहायक निदेशक (रसायन)	12979	3893700	3147854	3147854	0	745846	69	172500			1	24000		0								4090200	3147854	0	942346	942346
11	जहानाबाद	सहायक निदेशक (रसायन)	6929	2078700	1680265	1680265	0	398435	37	92500				0	1	36000								2207200	1680265	0	526935	526935
12	सारण	सहायक निदेशक (रसायन)	22773	6831900	5523649	5523649	0	1308251	120	300000			1	24000	1	36000								7191900	5523649	0	1668251	1668251
13	सिवान	सहायक निदेशक (रसायन)	22681	6804300	5533562	2799112	2734450	1270738	120	300000			1	24000		0								7128300	2799112	2734450	1594738	4329188
14	गोपालगंज	सहायक निदेशक (रसायन)	20047	6014100	4862385	4862385	0	1151715	106	265000				0	1	36000								6315100	4862385	0	1452715	1452715
15	मुजफ्फरपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	25583	7674900	6205290	6205290	0	1469610	135	337500			1	24000	1	36000								8072400	6205290	0	1867110	1867110
16	पू0 चम्पारण	सहायक निदेशक (रसायन)	31551	9465300	7653020	7653020	0	1812280	167	417500			1	24000	1	36000								9942800	7653020	0	2289780	2289780
17	प0 चम्पारण	सहायक निदेशक (रसायन)	22162	6648600	5488362	5488362	0	1160238	117	292500			1	24000		0								6965100	5488362	0	1476738	1476738
18	सीतामढ़ी	सहायक निदेशक (रसायन)	13704	4111200	3323721	3323721	0	787479	72	180000			1	24000		0								4315200	3323721	0	991479	991479
19	शिवहर	सहायक निदेशक (रसायन)	2639	791700	639610	639610	0	152090	14	35000				0	1	36000								862700	639610	0	223090	223090
20	वैशाली	सहायक निदेशक (रसायन)	16752	5025600	4063095	4063095	0	962505	89	222500			1	24000		0								5272100	4063095	0	1209005	1209005
21	लखीसराय	सहायक निदेशक (रसायन)	7920	2376000	1920658	1796622	124036	455342	42	105000				0	1	36000								2517000	1796622	124036	596342	720378
22	शेखपुरा	सहायक निदेशक (रसायन)	5340	1602000	1294810	0	1294810	307190	28	70000				0	1	36000								1708000	0	1294810	413190	1708000
23	मुंगेर	सहायक निदेशक (रसायन)	6354	1906200	1589153	0	1589153	317047	34	85000			1	24000		0								2015200	0	1589153	426047	2015200
24	जमुई	सहायक निदेशक (रसायन)	3447	1034100	996956	716533	280423	37144	18	45000			1	24000		0								1103100	716533	280423	106144	386567
25	खगड़िया	जिला कृषि पदाधिकारी	14541	4362300	3526758	3526758	0	835542	77	192500				0	1	36000								4590800	3526758	0	1064042	1064042
26	बेगूसराय	सहायक निदेशक (रसायन)	17435	5230500	4228775	4228775	0	1001725	92	230000			1	24000		0								5484500	4228775	0	1255725	1255725
27	दरभंगा	सहायक निदेशक (रसायन)	21763	6528900	5278647	5278647	0	1250253	115	287500			1	24000		0								6840400	5278647	0	1561753	1561753
28	मधुबनी	सहायक निदेशक (रसायन)	23297	6989100	5650760	5650760	0	1338340	123	307500			1	24000		0								7320600	5650760	0	1669840	1669840
29	समस्तीपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	25221	7566300	6117476	6117458	18	1448824	133	332500			1	24000	1	36000								7958200	6117458	18	1841324	1841342
30	सहरसा	संयुक्त निदेशक (शष्य)	15178	4553400	3681280	3681280	0	872120	80	200000			1	24000		0								4777400	3681280	0	1096120	1096120
31	सुपौल	सहायक निदेशक (रसायन)	18809	5642700	4562075	4562069	6	1080625	100	250000			1	24000		0								5916700	4562069	6	1354625	1354631
32	मधेपुरा	सहायक निदेशक (रसायन)	16571	4971300	4019189	0	4019189	952111	88	220000				0	1	36000								5227300	0	4019189	1208111	5227300
33	पूर्णियाँ	उप निदेशक (शष्य)	22517	6755100	5735867	5735867	0	1019233	119	297500			1	24000		0								7076600	5735867	0	1340733	1340733
34	किशनगंज	सहायक निदेशक (रसायन)	10033	3009900	2546150	0	2546150	463750	53	132500				0	1	36000								3178400	0	2546150	632250	3178400
35	अररिया	सहायक निदेशक (रसायन)	19620	5886000	4839453	4839453	0	1046547	104	260000			1	24000		0								6170000	4839453	0	1330547	1330547
36	कटिहार	सहायक निदेशक (रसायन)	22899	6869700	5893079	5893079	0	976621	121	302500				0	1	36000								7208200	5893079	0	1315121	1315121
37	भागलपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	11447	3434100	2905291	2905291	0	528809	60	150000			1	24000		0								3608100	2905291	0	702809	702809
38	बाँका	सहायक निदेशक (रसायन)	18470	5541000	4657325	4657325	0	883675	98	245000				0	1	36000								5822000	4657325	0	1164675	1164675
39	केन्द्रीय मि0प्र0शा0	संयुक्त निदेशक (रसायन)	*6544															1223700	918000	918000	305700			1223700	0	918000	305700	1223700
40	कृषि निदेशालय			0							22	1320000					2055000	2973300	0	0	2973300	1	150000	6498300	0	0	6498300	6498300
	Total		654389	196316700	160332000	137742539	22589461	35984700	3460	8650000	22	1320000	25	600000	21	756000	2055000	4197000	918000	918000	3279000	1	150000	214044700	137742539	23507461	52794700	76302161

Note - Mission management includes cost of analysis of [illegible] farmers mela (one at state level@10 lakh and nine at range level@1lakh each), monthly review meeting at state level, scheme evaluation by SAU and technical supervision over scheme & other miscellaneous expenditure incurred at state level in scheme.

अनुसूची–2

कोटिवार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार राशि की सूची

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	केन्द्रांश				राज्यांश				सकल योग	कोषागार
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	सहायक निदेशक (रसायन)	2913826	555014	0	3468840	1942550	370010	0	2312560	5781400	जिला कोषागार
2	नालन्दा	सहायक निदेशक (रसायन)	768999	140583	0	909582	512666	93722	0	606388	1515970	जिला कोषागार
3	भोजपुर	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	885847	161682	0	1047529	590565	107788	0	698353	1745882	जिला कोषागार
4	बक्सर	सहायक निदेशक (रसायन)	2671502	508858	0	3180360	1781002	339238	0	2120240	5300600	जिला कोषागार
5	रोहतास	सहायक निदेशक (रसायन)	938639	180674	12665	1131978	625760	120449	8443	754652	1886630	जिला कोषागार
6	भभुआ (कैमुर)	सहायक निदेशक (रसायन)	623735	125688	15824	765247	415823	83792	10550	510165	1275412	जिला कोषागार
7	गया	सहायक निदेशक (रसायन)	500679	91773	0	592452	333787	267110	0	600897	1193349	जिला कोषागार
8	अरवल	सहायक निदेशक (रसायन)	857354	163306	0	1020660	571570	108870	0	680440	1701100	जिला कोषागार
9	औरंगाबाद	सहायक निदेशक (रसायन)	1151795	210204	0	1361999	767863	140136	0	907999	2269998	जिला कोषागार
10	नवादा	सहायक निदेशक (रसायन)	477922	87486	0	565408	318614	58324	0	376938	942346	जिला कोषागार
11	जहानाबाद	सहायक निदेशक (रसायन)	266990	49171	0	316161	177993	32781	0	210774	526935	जिला कोषागार
12	सारण	सहायक निदेशक (रसायन)	846311	154639	0	1000950	564207	103094	0	667301	1668251	जिला कोषागार
13	सिवान	सहायक निदेशक (रसायन)	799864	684317	6575	1490756	2377985	456211	4236	2838432	4329188	जिला कोषागार
14	गोपालगंज	सहायक निदेशक (रसायन)	736975	134654	0	871629	491317	89769	0	581086	1452715	जिला कोषागार
15	मुजफ्फरपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	947263	173003	0	1120266	631508	115336	0	746844	1867110	जिला कोषागार
16	पू० चम्पारण	सहायक निदेशक (रसायन)	1161816	212053	0	1373869	774544	141367	0	915911	2289780	जिला कोषागार
17	प० चम्पारण	सहायक निदेशक (रसायन)	716646	147254	22143	886043	477765	98169	14761	590695	1476738	जिला कोषागार
18	सीतामढ़ी	सहायक निदेशक (रसायन)	502872	92015	0	594887	335248	61344	0	396592	991479	जिला कोषागार
19	शिवहर	सहायक निदेशक (रसायन)	112742	21112	0	133854	75161	14075	0	89236	223090	जिला कोषागार
20	वैशाली	सहायक निदेशक (रसायन)	613293	112110	0	725403	408863	74739	0	483602	1209005	जिला कोषागार
21	लक्खीसराय	सहायक निदेशक (रसायन)	302227	55578	0	357805	201485	161088	0	362573	720378	जिला कोषागार
22	शेखपुरा	सहायक निदेशक (रसायन)	860832	163968	0	1024800	573888	109312	0	683200	1708000	जिला कोषागार
23	मुंगेर	सहायक निदेशक (रसायन)	977133	193459	38528	1209120	651422	128973	25685	806080	2015200	जिला कोषागार
24	जमुई	सहायक निदेशक (रसायन)	6900	25165	31621	63686	285024	16776	21081	322881	386567	जिला कोषागार
25	खगड़िया	जिला कृषि पदाधिकारी	539660	98765	0	638425	359774	65843	0	425617	1064042	जिला कोषागार
26	बेगूसराय	सहायक निदेशक (रसायन)	637017	116418	0	753435	424678	77612	0	502290	1255725	जिला कोषागार
27	दरभंगा	सहायक निदेशक (रसायन)	792375	144677	0	937052	528249	96452	0	624701	1561753	जिला कोषागार
28	मधुबनी	सहायक निदेशक (रसायन)	847247	154657	0	1001904	564832	103104	0	667936	1669840	जिला कोषागार
29	समस्तीपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	934175	170625	0	1104800	622789	113753	0	736542	1841342	जिला कोषागार
30	सहरसा	संयुक्त निदेशक (शष्य)	555993	101679	0	657672	370661	67787	0	438448	1096120	जिला कोषागार
31	सुपौल	सहायक निदेशक (रसायन)	687218	125563	0	812781	458145	83705	0	541850	1354631	जिला कोषागार
32	मधेपुरा	सहायक निदेशक (रसायन)	2634559	501821	0	3136380	1756373	334547	0	2090920	5227300	जिला कोषागार
33	पूर्णियाँ	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	601105	149599	53736	804440	400738	99732	35823	536293	1340733	जिला कोषागार
34	किशनगंज	सहायक निदेशक (रसायन)	1512015	305126	89899	1907040	1008009	203418	59933	1271360	3178400	जिला कोषागार
35	अररिया	सहायक निदेशक (रसायन)	651726	130778	15824	798328	434484	87185	10550	532219	1330547	जिला कोषागार
36	कटिहार	सहायक निदेशक (रसायन)	569458	153238	66377	789073	379638	102159	44251	526048	1315121	जिला कोषागार
37	भागलपुर	सहायक निदेशक (रसायन)	319107	77276	25302	421685	212737	51519	16868	281124	702809	जिला कोषागार
38	बाँका	सहायक निदेशक (रसायन)	539577	124448	34780	698805	359718	82965	23187	465870	1164675	जिला कोषागार
39	केन्द्रीय मि०प०प्र०	संयुक्त निदेशक (रसायन)	616745	117475	0	734220	411163	78317	0	489480	1223700	विकास भवन पटना
40	कृषि निदेशक		3275143	623837	0	3898980	2183429	415891	0	2599320	6498300	विकास भवन पटना
Total			36355282	7539748	413274	44308304	26362027	5356462	275368	31993857	76302161	